

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-५२२ / ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(72)-2011
लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2011

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2757/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(31)-2008 दिनांक 29 सितम्बर, 2008 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,-

(क) कम संख्या 5 की प्रविष्टि निकाल दी जायेगी ;

(ख) क्रम संख्या 14 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार क्रमशः रख दी जाएंगी, अर्थात:-

क्रम संख्या	माल का विवरण	कर की दर
1	2	3
14.	निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़कर केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित लोहा और इस्पात:- (i) पिग आयरन, स्पंज आयरन एवं कास्ट आयरन, जिसके अन्तर्गत इनगट मोल्ड्स, बाटम प्लेट्स, आयरन स्कैप, कास्ट आयरन स्कैप, रनर स्कैप एवं आयरन स्कल स्कैप सम्मिलित है; (ii) स्टील सेमीज (सभी क्वालिटीयों, आकृतियों और आकारों की सिल्लियाँ, पट्टियाँ, ब्लूम और बिलेट); (iii) पिघले इस्पात के सभी रूप के स्कैप, जिनके अन्तर्गत इस्पात के स्कल, खरादन और वेदन भी हैं; (iv) तार-बेल्लित, खींचे गये, जस्तेदार, अल्युमिनियम-युक्त, कलईदार या विलेसित जैसे तॉबे से ; (v) हाट रोल्ड क्वायल।	माल के मूल्य का पाँच प्रतिशत

आज्ञा से,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।